संख्याः 2053 / 79–6–2009

प्रेषक,

**सचिव,**
बेसिक शिक्षा विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

**समस्त जिलाधिकारी,**
उ0प्र0।

**शिक्षा अनुभाग–6** **लखनऊ** **दिनांक** **07 सितम्बर, 2009**

**विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत बच्चों को नियमित रूप से मध्यान्ह भोजन उपलब्ध न होने की स्थिति में दायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारियों के निरीक्षण तथा कतिपय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के माध्यम से शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विद्यालयों में कई–कई दिनों तक बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा उक्तानुसार प्रकरण के संज्ञान में आने तक जिला स्तर से इसके निराकरण के लिए कोई कार्यवाही नही की गयी थी। कतिपय मामलों में तो तत्समय तक जिला स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों को इसकी जानकारी न होने की स्थिति भी पायी गयी। भविष्य में इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो तथा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत बच्चों को नियमित रूप गुणवत्तापरक मध्यान्ह भोजन उपलब्ध होता रहें, इसके लिए निम्नलिखित निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगीः–

1. योजना से आच्छादित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि वह अपने विद्यालय में बच्चों को मध्यान्ह भोजन न मिलने की स्थिति में तत्काल कार्यदायी संस्था यथा ग्राम प्रधान, सभासद आदि से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कराये कि विद्यालय में मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से बने तथा बच्चों को उपलब्ध हो।
2. यदि प्रधानाध्यापक के इस प्रयास के बावजूद 03 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्था द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनवाना प्रारम्भ नही किया जाता है, तो प्रधानाध्यापक द्वारा भोजन न बनने की तिथि से तीसरे दिन इसकी लिखित सूचना अपने ब्लाक के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा नगर क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी इस लिखित सूचना की पावती सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराते हुए इस आशय की सूचना अपने कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए रखी गयी पृथक पंजिका में अंकित करेगा तथा आगामी 03 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्था यथा ग्राम प्रधान एवं सभासद आदि से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करायेगा।
3. यदि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के इस प्रयास के बावजूद कार्यदायी संस्था द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनवाना शुरू नही किया जाता है, तो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा उसके पास प्रकरण की लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीसरे दिन इसकी लिखित सूचना जनपद स्तर पर जिला समन्वयक (एम0डी0एम0) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त करायी जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इस लिखित सूचना की पावती सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस सूचना को इस प्रयोजन के लिए पृथक से रखी गयी

पंजिका में दर्ज कराते हुए इस सूचना से प्राप्त होने के आगामी 4 दिन में समस्या का निराकरण सुनिश्चित करायेंगे।

4. यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के इस प्रयास के बावजूद कार्यदायी संस्था द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनवाना शुरू नहीं किया जाता है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उनके कार्यालय में लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनांक के चौथे दिन पूरी स्थिति का विवरण पत्रावली पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके उपरान्त जिलाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर दोषी व्यक्ति/संस्था का दायित्व निर्धारत करते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।

मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित किसी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन न बनते पाये जाने की स्थिति की जानकारी होने पर यदि यह पाया जाय कि सम्बन्धित प्रधानाचार्य/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्या के निराकरण पर ध्यान नही दिया गया है अथवा समस्या के निराकरण न होने पर सक्षम स्तर को लिखित रूप से स्थिति की सूचना नही दी गयी है, तो ऐसी स्थिति में दोषी व्यक्ति का स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मध्यान्ह भोजन योजना के सफल संचालन हेतु इस आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

**(अनूप चन्द्र पाण्डेय)**
सचिव

**पृ0सं0: /2008–09 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

**(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)**
संयुक्त सचिव